न्यायालय, श्री पंकज कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वीरपुर

(सुपौल)

उपस्थितः- श्री पंकज कुमार
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
वीरपुर

FORM-A

निर्णय दिनांकः- 10.03.2026
जी0 आर0 नं0:- 388/2019
निर्मली थाना कांड सं0:- 100/2019
प्राथमिकी अन्तर्गत धाराः- 341,323,379/34 भा0दं0वि0
आरोप पत्र समर्पित धाराः- 341,323,504/34 भा0दं0वि0
संज्ञान की धाराः- 341,323,504/34 भा0दं0वि0
अभियोग का सारांश की धाराः- 341,323,504/34 भा0दं0वि0

सूचक का नाम	राज्य द्वारा सूचक अजय कुमार सिंह पिता- स्व0 राजेश्वर प्रसाद सिंह, साकिन-निर्मली, वार्ड न0 05, थाना-निर्मली, जिला सुपौल.....**अभियोजन पक्ष।**
अभियोजन पक्ष की तरफ से	श्री संजय कुमार (सा0 अभि0 पदा0)
अभियुक्त	(1) चितरंजन महतो (2) मनोरंजन महतो दोनो पे0- स्व0 सत्यनारायण प्रसाद (3) आयुष रंजन पे0- चितरंजन महतो सभी साकिन- निर्मली, वार्ड न0 03, थाना-निर्मली, जिला सुपौल..... **प्रतिरक्षा पक्ष।**
प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से	श्री प्रभाकर सिंह (विद्वान अधिवक्ता)

FORM-B

अपराध की तिथि-	13.06.2019
प्राथमिकी की तिथि-	13.06.2019
आरोप पत्र की तिथि-	04.07.2019

न्यायालय, श्री पंकज कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वीरपुर

(सुपौल)

संज्ञान की तिथि–	17.09.2019
अभियोग का सारांश की तिथि–	10.03.2022
साक्ष्य आरम्भ होने की तिथि–	11.04.2022
निर्णय हेतु निर्धारित किये जाने की तिथि–	10.03.2026
निर्णय की तिथि–	10.03.2026
सजा सुनाये जाने की तिथि (यदि कोई हो)	

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	अभियोग का सारांश की तिथि	दोषमुक्ति/ दोषसिद्धि	सजा का विवरण	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि
1.	चितरंजन महतो	.....	10.03.2022	10.03.2022	दोषमुक्ति	.....	.....
2.	मनोरंजन महतो	.....	10.03.2022	10.03.2022	दोषमुक्ति	.....	.....
3.	आयुष रंजन	.....	10.03.2022	10.03.2022	दोषमुक्ति	.....	.....

10.03.26

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी वीरपुर

निर्णय

1. कुल 3 अभियुक्तों 1. चितरंजन महतो 3. मनोरंजन महतो 3. आयुष रंजन का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 341,323,504/34 भा0दं0वि0 के अपराध के हेतु किया गया हैं। दिनांक–10.03.2022 को अभियुक्तों को अभियोग का सारांश हिन्दी मे सुनाया गया एवं समझा दिया गया। अभियुक्त ने अपने उपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की मांग किया।

2. कथित घटना का सूचक अजय कुमार सिंह के फर्द बयान के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक–13.06.2019 को दिन के करीब 9:00 बजे सुबह पुराना सिनेमा हौल के पीछे पुराना पोखर पनपीबी विधालय के निकट स्थित

पोखर की पैमाईस करवाने हेतु गए। उसी समय 1. चितरंजन महतो 3. मनोरंजन महतो 3. आयुष रंजन पैमाईस स्थान पर आये और अन्य दस बदमाशो के साथ भद्दी-भद्दी गाली देने लगा और कहा कि यह जमीन का तुमलोग पैमाईस नहीं करा सकते यदि पैमाईस करवाते हो तो जान से मारकर तुमलोगों को नदी में फेंक देंगे जिसका पता कोई नहीं लगा पाएगा। इसी बीच मनोरंजन महतो ने लोहे के रड से मारने लगा जिससे मुझे काफी चोट लगी और मैं प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र निर्मली में मुझे भर्ती होना पड़ा। सुरेन्द्र कुमार सिंह को चितरंजन महतो ने लाठी-डंटा से प्रहार किया जिससे उसको गंभीर चोट लगी और वह प्राथमिकी स्वास्थ केन्द्र निर्मली में इलाज करवाया। एवं अनिल सिंह को आयुष रंजन ने कुदाल से हमला किया जिससे उन्हें भी गंभीर चोट आयी हैं तथा अन्य दस अज्ञात लोगों ने भी लाठी-डंडा से हमलोगों पर प्रहार किया जिससे हमलोग अपने-अपने जान बचाकर भागकर निर्मली अस्पताल पहुचें। मनोरंजन महतो ने मेरे हाथ से जमीन का केवाला और रसीद छिन लिया तथा गले का सोने का चेन भी छिन लिया। जबकि सुरेन्द्र कुमार सिंह के हाथ की घड़ी चितरंजन महतो ने छिन लिया। वे लोग धमकी दे रहे थे कि तुमको तथा तुम्हारे परिवार के सदस्यों को नामोनिशान मिटा देंगें। कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा।

for
10.03.26

3. कथित घटना के सूचक अजय कुमार सिंह के द्वारा दिये गये फर्द बयान के आधार पर निर्मली थाना कांड सं0:-100/2019 थानाध्यक्ष द्वारा पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी तैयार किया गया तथा घटना का अनुसंधान स0 अ0 नि0 रमेश प्रसाद यादव द्वारा किया गया। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा-341,323,504/34 भारतीय दण्ड संहिता में समर्पित किया गया, जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेकर अभियुक्तों को विचारण का सामना करने हेतु सम्मन किया गया।

4. बचाव पक्षों ने अपने बचाव के कम मे धारा-313 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित बयान मे अपने को निर्दोष बताया हैं तथा घटना कारित करने से इन्कार किया हैं। सम्पूर्ण विचारण के दौरान बचाव पक्ष द्वारा सफाई साक्ष्य के रूप में कोई भी मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया हैं।

5. विचारण के क्रम मे अभियोजन द्वारा मौखिक साक्षी के रूप मे एक भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया हैं,

6. बचाव पक्ष द्वारा सम्पूर्ण विचारण के दौरान कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया हैं।

मंतव्य

7. दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ता का विस्तृत बहस सुना। अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से यह विदित होता है कि इस वाद मे अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341,323,504/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग का सारांश सुनाया गया हैं। अभियोजन की ओर से एक भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया। जिसमें साक्षी द्वारा घटना का समर्थन किया गया हो। अभियोजन के द्वारा वाद के समर्थन मे इस वाद के सूचक या अनुसंधानकर्ता या अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया हैं। जबकि साक्ष्य हेतु अभियोजन को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हैं। अभियोजन इस वाद के अभियुक्तों 1. चितरंजन महतो 3. मनोरंजन महतो 3. आयुष रंजन को धारा- 341,323,504/34 भा0द0वि0 के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा हैं। यह एक बिना साक्ष्य का मामला हैं।

10.03.26

आदेश

अतः अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामाग्रियों एवं तथ्यों के आलोक में इस वाद के अभियुक्तों 1. चितरंजन महतो 3. मनोरंजन महतो 3. आयुष रंजन को धारा-341,323,504/34 भा0द0वि0 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता हैं। तथा उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता हैं। आज निर्णय खुले न्यायालय में अभियुक्तों को सुनाया गया। निर्णय इस अभिलेख के साथ पन्ना 01 से 06 तक संलग्न हैं। कार्यालय अभिलेख को विधि अनुसार अभिलेखागार में जमा करें।

न्यायालय, श्री पंकज कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वीरपुर

(सुपौल)

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत मे

निर्णय खुले न्यायालय हिन्दी मे सुनाया गया।

Pankaj Kumar

पंकज कुमार
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
वीरपुर
दिनांकः- 10.03.2026

Pankaj Kumar

पंकज कुमार
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
वीरपुर
दिनांकः- 10.03.2026

FORM-C

अभियोजन/ बचाव पक्ष/ न्यायालय गवाहो की सूची

क. अभियोजन गवाह

कम सं0	गवाह का नाम	गवाह का प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह
1.	.....	.....

ख. प्रतिरक्षा बचाव पक्ष के गवाह यदि कोई हो

कम सं0	नाम	गवाह का प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह
.....	.....	.....

ग. न्यायालय प्रदर्श यदि कोई हो

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण

न्यायालय, श्री पंकज कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वीरपुर

(सुपौल)

1.	01	प्राथमिकी के लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

घ. बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
.....	.....	.....

ड. न्यायालय की ओर से प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
.....	.....	.....

च. कोई वस्तु प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
.....	.....	.....

Pankaj Kumar

पंकज कुमार
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
वीरपुर
दिनांकः- 10.03.2026

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी वीरपुर